



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072023-247645
CG-DL-E-27072023-247645

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 525]
No. 525]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान

(कंपनी सचिव अधिनियम 1980 के तहत गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली 26, जुलाई, 2023

सं. 710/1(एम)/3.—कम्पनी सचिव विनियम, 1982 में और संशोधन करने के लिए कुछ विनियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिसे भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ बनाने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा कथित अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अपेक्षित ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिन्हें इससे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदे पर विचार इस अधिसूचना वाले आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराये जाने की तिथि से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद किया जाएगा;

कथित मसौदा विनियमों के संबंध में आपत्तियां या सुझाव सचिव, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, आईसीएसआई हाउस, 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को संबोधित किये जा सकते हैं;

कथित मसौदा विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से विनिर्देशित अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियां या सुझाव पर परिषद् द्वारा ही विचार किया जाएगा।

मसौदा विनियम

- (1) ये विनियम कम्पनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2023 कहे जा सकते हैं।
(2) ये भारत के राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि पर लागू होंगे।
- कम्पनी सचिव विनियम, 1982 (यहां के बाद प्रमुख विनियम के रूप में संदर्भित) में —
(i) विनियम 3 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“सदस्यों का रजिस्टर,—

- (1) सदस्यों का रजिस्टर अनुसूची 'ए' में निर्दिष्ट उचित फार्म में रखा जाएगा।
- (2) सदस्य रजिस्टर में दर्ज अपने विवरण में किसी भी बदलाव के बारे में संस्थान को ऐसे बदलाव तीस दिनों के भीतर सूचित करेगा।”

(ii) विनियम 10 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“10. प्रैक्टिस सर्टिफिकेट का अनुदान या इन्कार,—

- (1) एक सदस्य, परिषद् द्वारा निर्धारित ढंग और तरीके से ओरिएंटेशन कार्यक्रम के सफल समापन के बाद, कंपनी सचिव के रूप में अभ्यास करने का अधिकार देने वाले प्रमाण-पत्र के लिए परिषद् में आवेदन कर सकता है।
- (2) प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन उचित फार्म में किया जाएगा और वार्षिक प्रमाण-पत्र शुल्क और वार्षिक सदस्यता शुल्क के साथ संलग्न किया जाएगा, जब तक कि इसका भुगतान विनियम 6 के अनुसार पहले ही नहीं किया गया हो।
- (3) संस्थान उचित फॉर्म में प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जारी कर सकता है जो इन विनियमों के प्रावधानों के तहत रद्द होने तक वैध होगा।
- (4) सदस्य को प्रैक्टिस बंद करने के बारे में यथाशीघ्र परिषद् को सूचित करना होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में, प्रैक्टिस बंद करने के दिन से एक महीने के अन्दर ही हो।
- (5) परिषद् किसी सदस्य को प्रैक्टिस सर्टिफिकेट देने से इंकार कर सकती है, यदि प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में दिये गए विवरण अधूरे या गलत पाए जाते हैं या अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत ऐसा सदस्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।”

(iii) विनियम 15ए, के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:

“15ए. अधिनियम की धारा 21ए और 21 बी के तहत गठित अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति में नामांकन के लिए व्यक्तियों का पैनल,—

- (1) परिषद् अधिनियम की धारा 21ए और 21बी की उपधारा (1) के तहत निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार गठित अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों के नामांकन के लिए व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और केन्द्र सरकार को प्रदान करेगी। खण्ड (ए) यानी कानून में अनुभव रखने वाले और अनुशासनात्मक मामलों और पेशे का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों और (बी) यानी के कानून, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वित्त या लेखा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति।

भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय नागरिक लेखा सेवा, भारतीय पी एंड टी लेखा और वित्त सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, निदेशक (वित्त) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सेवानिवृत्त अधिकारियों को यथोचित ध्यान दिया जाएगा। पीएसयू के, केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारी। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, ग्रुप “ए” सेवा का 20 वर्षों का अनुभव, काउंसिल की सर्च कमेटी द्वारा तैयार पैनल में शामिल करने के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश के रूप में, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के साथ जिला जज या जिला न्यायाधीश सहित न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।

- (2) उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) के तहत अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पीठासीन अधिकारी और सदस्यों के लिए पैनल तैयार करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 21ए और 21बी के अनुसार, परिषद्:—

(i) एक खोज-सह-चयन समिति (बाद में खोज समिति के रूप में संदर्भित) का गठन करें जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष द्वारा नामित परिषद् का एक सदस्य और केंद्र सरकार द्वारा नामित परिषद् के दो सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे। परिषद् का अध्यक्ष ही खोज समिति का अध्यक्ष होगा।

(ii) संस्थान के सचिव इस शोध समिति के सचिव होंगे।

- (3) अधिनियम की धारा 21ए और 21बी की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) के प्रयोजन के लिए खोज समिति आवेदन आमंत्रित करेगी, प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी और परिषद् के विचार के लिए एक पैनल तैयार करेगी:

बशर्ते कि ऐसे पैनल में, खोज समिति अपने आप में अधिनियम की धारा 21ए और 21बी की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) के अनुसार उचित प्रतिष्ठा वाले और योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के नाम भी शामिल कर सकती है।

बशर्ते कि पैनल में शामिल होने के अनुरोध की तारीख से ठीक दो साल पहले कभी भी संस्थान की सदस्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति या जो वर्तमान परिषद या तत्काल पिछली परिषद का सदस्य रहा हो, अधिनियम की धारा 21ए और 21बी की उपधारा (1) के खंड (ए) और (बी) के तहत उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी में पैनल में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।

- (4) खोज समिति, आवेदनों को आमंत्रित करने, उनकी जांच करने, परिषद की मंजूरी के लिए पैनल तैयार करने और पैनल में शामिल करने के लिए अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए अपनी प्रक्रिया तय करेगी।
- (5) खोज कमेटी का निर्णय सर्वसम्मत होगा।
- (6) इस प्रकार तैयार किए गए पैनल को परिषद द्वारा तय किए गए अंतराल पर अद्यतन किया जाएगा।
- (7) धारा 21ए और धारा 21बी की उपधारा (1) के खंड (सी) के तहत परिषद द्वारा अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति में सदस्यों के नामांकन के लिए, इस प्रकार नामित सदस्य संस्थान का सदस्य होगा हालांकि, बीओडी/डीसी में नामांकित सदस्य बीओडी/डीसी का सदस्य रहने के बाद -4 साल की अवधि तक चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।
- (8) परिषद द्वारा केंद्र सरकार को उपलब्ध कराए जाने वाले पैनल में आमतौर पर प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम पांच नाम शामिल होंगे।
- (9) पीठासीन अधिकारी या सदस्य जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया है या अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के लिए परिषद द्वारा नामित सदस्य दो साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और दो वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होंगे।
- (10) कोई भी व्यक्ति पैनल में अपना नाम शामिल करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी विकलांगता से पीड़ित है : -
 - (ए) वह विकृत दिमाग का है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है; या
 - (बी) वह एक निष्पुक्त दिवालिया है; या
 - (सी) उसने दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है; या
 - (डी) उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, चाहे वह नैतिक अधमता से जुड़ा हो या अन्यथा; या
 - (ई) उसे किसी भी पद को धारण करने से अयोग्य ठहराने वाला आदेश किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया है
 - (एफ) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 या लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 या कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 21 (ए) या 21 (बी) के तहत अनुशासन बोर्ड या अनुशासनात्मक समिति द्वारा कोई दंड लगाने का आदेश पारित किया गया है। जैसा भी मामला हो।

(iv) विनियम 15एए, के बाद, निम्नलिखित विनियम शामिल किया जाएगा, अर्थात्:

“15एबी. — अधिनियम की धारा 21ए और धारा 21बी के तहत गठित अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को देय भत्ते।

(1) अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समितियों के पीठासीन अधिकारी और सदस्य बोर्ड या समिति की बैठक और संबंधित कार्यों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ते और यात्रा, आवास और स्थानीय परिवहन के खर्चों की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे मामला निम्नानुसार हो सकता है:-

- (ए). यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में स्वीकार्य होगी।
- (बी). दैनिक भत्ता और आवास व्यय की प्रतिपूर्ति परिषद के उपाध्यक्ष रूप में स्वीकार्य होगी।
- (सी). स्थानीय परिवहन

स्थानीय परिवहन कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा और यदि यह प्रदान नहीं किया जाता है, तो उन्हें वास्तविक दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी जो परिषद के उपाध्यक्ष को स्वीकार्य दरों से अधिक नहीं होगी।

उप-विनियम (1) में भत्तों के अलावा, पीठासीन अधिकारी और अनुशासन बोर्ड, अनुशासनात्मक समितियों के सदस्य, प्रत्येक दिन के लिए क्रमशः बीस हजार रुपये और अठारह हजार रुपये की दर से बैठक शुल्क के लिए भी पात्र होंगे। एक कैलेंडर माह में अधिकतम 2,00,000/— रु. या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है।”

(v) विनियमन 15एबी के बाद, निम्नलिखित विनियमन डाला जाएगा, अर्थात्:

“15एसी. — सार्वजनिक डोमेन में कार्रवाई योग्य जानकारी और शिकायतों की स्थिति।

(1) अनुशासनात्मक निदेशालय, बोर्ड और समिति के समक्ष लंबित कार्रवाही योग्य जानकारी और शिकायतों की स्थिति संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी और हर महीने अपडेट की जाएगी।

(2) ऐसी लंबित जानकारी और शिकायतों की स्थिति में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे: —

(i) कार्रवाई योग्य जानकारी और लंबित शिकायतों की कुल संख्या।

(ii) प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के चरण से पहले निदेशालय के समक्ष जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या।

(iii) उन मामलों का विवरण जहां प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट निदेशक (अनुशासन) द्वारा प्रस्तुत की गई है—

ए. अनुशासन बोर्ड

बी. अनुशासनात्मक समिति

(iv) सुनवाई के लिए लंबित मामलों का विवरण (वापस सुनावई यदि है) : —

ए. अनुशासन बोर्ड

बी. अनुशासनात्मक समिति

(v) उन मामलों का विवरण जहां सुनवाई पूरी हो चुकी है लेकिन निष्कर्ष सुरक्षित रखे गए हैं—

ए. अनुशासन बोर्ड

बी. अनुशासनात्मक समिति

(vi) उन मामलों का विवरण जहां निष्कर्ष जारी किए गए हैं लेकिन सजा अभी तक नहीं दी गई है—

ए. अनुशासन बोर्ड

बी. अनुशासनात्मक समिति

(vii) उन मामलों का विवरण जिनमें सजा दी गई है —

ए. अनुशासन बोर्ड

बी. अनुशासनात्मक समिति

(viii) उन याचनाओं का विवरण जो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर हैं आंकड़ों के साथ विवरण है —

ए. याचना की अनुमति,

बी. आंशिक रूप से अनुमति,

सी. खारिज

(3) निपटान सांख्यिकी में निपटान का विवरण भी शामिल होगा, ऐसे मामलों की संख्या जिनमें फटकार, रजिस्टर से हटाने, जुर्माना या रजिस्टर से हटाने और जुर्माना दोनों का दंड दिया गया है।

(4) निम्नलिखित प्रारूप में जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी और वह हर महीने अपडेट की जाएगी। यह जानकारी उन सभी फॉर्म/सीएस के लिए तैयार की जाएगी जिनके मामले या तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में (बीओडी/डीसी/अपीलीय प्राधिकारी/न्यायालय के समक्ष) लंबित हैं या जिनके मामले में, वित्तीय वर्ष के दौरान पीईआर दायर किया गया है:

वित्तीय वर्ष — — — — — महीने तक अपडेट किया गया — — — — —

1. क्रमांक. सं.

2. फॉर्म का नाम

3. पीईआर दायर किया गया

4. बीओडी/डीसी पर स्थिति – लंबित/निर्णय

5. बीओडी/डीसी का अंतिम निर्णय – धारा/अनुसूची/दिशानिर्देश के तहत दोषी/दोषी नहीं ।

6. उच्च फोरम में निर्णय – उच्च फोरम में कोई मामला दायर नहीं किया गया/a/w के समक्ष दायर मामलों की स्थिति

(5) अनुशासन बोर्ड द्वारा धारा 21ए की उपधारा (5) और (6) और अनुशासनात्मक समिति द्वारा अधिनियम की धारा 21बी की उपधारा (5) और (6) के तहत पारित अंतिम आदेश प्रत्येक मामले के संबंध में संबंधित पक्षों को सूचित किए जाने के बाद संस्थान की वेबसाइट उपलब्ध कराया जाएगा।”

(vi) विनियम 46एबी में, खंड 1 (बी) के बाद, खंड (सी) डाला जाएगा, अर्थात् : –

“(सी) ऐसी अवधि के लिए और ऐसे तरीके से सीखने के क्रेडिट घंटे पूरे किए जो समय-समय पर इस संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करके परिषद द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।”

(vii) विनियम 114 के बाद, विनियम 114ए डाला जाएगा, अर्थात् : –

“114ए– क्षेत्रीय परिषद के पदाधिकारियों के चुनाव के संबंध में विवाद

“विनियमन 119 के तहत जहां किसी क्षेत्रीय परिषद के किसी भी चुनाव के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामले को क्षेत्रीय परिषद के पीछित सदस्य द्वारा चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रेसिडेंट के पास भेजा जा सकता है और प्रेसिडेंट का निर्णय अंतिम होगा।”

(viii) उक्त विनियमों में, विनियम 115 में,—

(ए) उप-विनियम (1) में,

(i) शब्द “छह” के स्थान पर “सात” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) “प्रत्येक चुनाव के लिए परिषद द्वारा तय की जाने वाली सदस्यों की न्यूनतम संख्या” शब्दों के स्थान पर “ऐसे क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में पात्र मतदाताओं का साढ़े सात प्रतिशत या 1000 मतदाता, जो भी कम हो” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएंगे।

(बी) उप-विनियम (2) में,

(i) शब्द “इक्कीस” के स्थान पर “पंद्रह” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(सी) उप-विनियम (3) में,

(i) शब्दों “विनियम 111, मई” के बाद “इसकी पहली बैठक में” शब्द हटा दिए जाएंगे।

(ix) उक्त विनियमों में, विनियम 152 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : –

“152– लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

(1) परिषद अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) के प्रावधानों के अनुसार हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक फर्म को लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) परिषद द्वारा एक बार नियुक्त किए गए लेखा परीक्षक, इसके लिए लगातार दो वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, बशर्ते कि यदि परिषद ऐसी नियुक्ति को बदलना चाहती है, तो उन्हें सीएण्डएजी की सहमति लेनी होगी और सीएण्डएजी द्वारा बनाये गए लेखा परीक्षकों के पैनल से एक अन्य लेखापरीक्षक नियुक्त करेगी।”

(x) उक्त विनियमों में, विनियम 153 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : –

“153. लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक –

परिषद लेखापरीक्षकों को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक, यदि कोई हो, निर्धारित करेगी।”

(xi) उक्त विनियमों में, विनियम 154 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“154. लेखा परीक्षकों के कार्यालय में आकस्मिक रक्ति –

यदि लेखा परीक्षक के कार्यालय में कोई रक्ति होती है तो उसे सीएण्डएजी द्वारा बनाए गए लेखा परीक्षकों के नए पैनल से भरा जाएगा।”

(xii) उक्त विनियमों में, विनियम 156 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : –

***156. प्रेसीडेन्ट की शक्तियाँ एवं कर्तव्य —**

(1) प्रेसीडेन्ट ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट हैं और जिन्हें परिषद द्वारा या इसकी स्थायी समितियों द्वारा समय-समय पर सौंपा जा सकता है (बजट, लेखा परीक्षा वार्षिक वित्तीय खातों, विनियम, दिशानिर्देश और प्रक्रियाओं को बनाने की शक्तियों को छोड़कर)।

(2) प्रेसीडेन्ट किसी भी कार्य को परिषद या किसी स्थायी समिति के समक्ष विचार के लिए लाने का निर्देश दे सकते हैं।"

(xiii) उक्त विनियमों में, विनियम 156 के बाद विनियम 156ए डाला जाएगा, अर्थात् : —

***156ए वाइसप्रेसिडेन्ट की शक्तियाँ और कर्तव्य —**

वाइस प्रेसीडेन्ट ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट हैं और जिन्हें समय-समय पर परिषद या इसकी स्थायी समितियों द्वारा सौंपा जा सकता है।"

(xiv) उक्त विनियमों में, विनियम 157 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

***157 सचिव क कार्य, कर्तव्य एवं शक्तियाँ,**

परिषद के समग्र नियंत्रण, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन, सचिव निम्नलिखित कार्य निष्पादित करेगा:

- (ए) संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उसके कार्यालय का प्रभारी होना;
- (बी) अधिनियम और इन विनियमों द्वारा अपेक्षित रजिस्ट्रारों, दस्तावेजों और प्रपत्रों को बनाए रखना;
- (सी) संस्थान की सभी संपत्ति का प्रभारी होना;
- (डी) परिषद को देय धन प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना और उसके लिए रसीदें भी जारी करना;
- (ई) परिषद या इसकी समितियों द्वारा स्वीकृत सीमा के भीतर राजस्व और पूंजीगत व्यय करना;
- (एफ) संस्थान के खातों की लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित खाते बनाए रखना और परिषद द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के लिए खाता पुस्तकें, जानकारी आदि प्रदान करना;
- (जी) परिषद या उसकी समितियों द्वारा स्वीकृत अन्य सभी भुगतान करना;
- (एच) कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का भुगतान करना, उन्हें छुट्टी आदि देना, और उन्हें अन्य भत्ते देना, और नियमों के अनुसार उनकी वेतन वृद्धि को मंजूरी देना;
- (आई) बर्खास्तगी को छोड़कर अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखना, जिसके संबंध में परिषद की मंजूरी आवश्यक होगी;
- (जे) परीक्षाओं के लिए इन विनियमों के तहत प्राप्त शुल्क वापस करना या स्थानांतरित करना;
- (के) व्यावहारिक अनुभव को मान्यता देना, व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों को प्रायोजित करना, समय-समय पर परिषद और संबंधित समितियों द्वारा प्रत्यायोजित व्यावहारिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं से छूट प्रदान करना;
- (एल) परिषद की ओर से सभी संचार, दिशा-निर्देशों, परिपत्रों, आदेशों, निर्णयों और अधिसूचनाओं पर हस्ताक्षर करना और जारी करना;
- (एम) संस्थान की ओर से अदालतों या मंचों या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों में किसी भी नागरिक या आपराधिक या अन्य कार्यवाही के मामलों में आवश्यक कदम उठाना और परिषद की ओर से वकालतनामे पर हस्ताक्षर करना, परिषद की ओर से सॉलिसिटर या वकील नियुक्त करना, और परिषद की ओर से अदालतों में कागजात दाखिल करना आदि, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के भीतर, जैसा कि परिषद या इसकी समितियों द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जा सकता है;
- (एन) समय-समय पर परिषद या इसकी समितियों द्वारा अनुमोदित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के भीतर संस्थान की ओर से समझौतों, अनुबंधों, कार्यों, दस्तावेजों और उपक्रमों आदि पर हस्ताक्षर और निष्पादन करना;
- (ओ) ऐसे अन्य कर्तव्यों और कार्यों का पालन करना जो उपरोक्त कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक और सहायक हैं और आवश्यक हो सकते हैं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो परिषद द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती हैं;
- (पी) संस्थान के किसी भी अधिकारी या अधिकारियों को मद (बी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (जे) और (के) के तहत किसी भी शक्ति या कर्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन करने के लिए अधिकृत करना।"

(xv) उक्त विनियमों में, विनियम 161 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

***161. सदस्यों की सूची —**

(1) प्रत्येक वर्ष अप्रैल के 1 में दिन तक संस्थान के सदस्यों की सूची अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (3) के तहत क्षेत्र-वार प्रकाशित की जाएगी और संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य(ओं) के अनुरोध पर भौतिक प्रतिलिपि ऐसी कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जो परिषद द्वारा समय-समय पर तय की जा सकती है।

(2) सदस्यों की सूची में सदस्यों के निम्नलिखित विवरण शामिल हो सकते हैं:

(i) नाम — संस्थान के रिकॉर्ड के अनुसार सदस्य का नाम

(ii) लिंग — पुरुष, महिला और अन्य

(iii) योग्यता — संस्थान के रिकॉर्ड के अनुसार सदस्य की योग्यता

(iv) सदस्यता संख्या —

(v) चाहे एसोसिएट हो या फेलो

(vi) एसोसिएट या फेलो के रूप में नामांकन का वर्ष

(vii) क्या प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र है

(viii) व्यावसायिक पता (विनियम 167 देखें)

(ix) विदेश में रहने वाले सदस्य — सदस्य का क्षेत्र और भारत में आवासीय पता

(x) अधिनियम के अध्याय v के तहत किसी भी कार्रवाई योग्य जानकारी या उसके खिलाफ शिकायत के लंबित होने का विवरण

(xi) अधिनियम के अध्याय v के तहत इसके खिलाफ कोई जुर्माना लगाने का विवरण।”

(xvi) उक्त विनियमों में, विनियम 165 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“165 फर्म के पंजीकरण का तरीका और नियम एवं शर्तें —

(1) व्यवसाय में एक कंपनी सचिव या ऐसे कंपनी सचिवों की एक फर्म या सीएस की बहु-अनुशासनात्मक भागीदारी फर्म, एक व्यापार नाम या फर्म नाम में अभ्यास शुरू करने से पहले, परिषद द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्यापार या फर्म नाम का उपयोग करने की अनुमति के लिए परिषद द्वारा अनुमोदित फॉर्म में आवेदन करेगी।

(2) मौजूदा व्यापार या फर्म के नाम का उपयोग करने या व्यापार या फर्म के नाम में संशोधन की अनुमति के लिए, इन नियमों के शुरू होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सभी मौजूदा फर्मों को परिषद में आवेदन करना होगा, जो उपरोक्त उप-विनियम (1) के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा व्यापार/फर्म नाम के उपयोग या मौजूदा फर्म के नाम में किसी भी संशोधन की अनुमति दे सकता है।

(3) परिषद किसी विशेष व्यापार या फर्म के नाम को मंजूरी देने से इनकार कर सकती है, यदि

(i) ऐसी फर्म का नाम संस्थान के रिकॉर्ड के अनुसार पहले से पंजीकृत किसी अन्य फर्म के नाम के सदृश या समान है; या

(ii) यह नाम भारत के भीतर या बाहर किसी भी फर्म द्वारा उपयोग में है; या

(iii) यदि उस पर किसी भगवान/देवी/देवता का नाम है और जिसका सदस्य(ओं) के नाम से कोई संबंध नहीं है; या

(iv) यदि व्यापार/फर्म का नाम वर्णनात्मक है; या

(v) यदि व्यापार/फर्म के नाम से प्रचार की बू आती है; या

(vi) यदि परिषद की राय में ऐसा नाम अवांछनीय है; या

(vii) यदि परिषद की राय में फर्म का पंजीकरण अवांछनीय है।

(4) कंपनी सचिवों की फर्म व्यापार या फर्म के नाम के अनुमोदन, या अभ्यास शुरू करने या संविधान में परिवर्तन या फर्म या कार्यालय के विवरण में परिवर्तन, जैसा भी मामला हो, के एक महीने के भीतर परिषद को सूचित करेगी। उसके कार्यालय, फर्म और जैसा भी मामला हो, परिवर्तनों के संबंध में ऐसे विवरण उचित प्रपत्र में भरें।

(5) जहां दो या दो से अधिक सदस्यों या फर्मों के मामले में एक ही व्यापार या फर्म का नाम अतीत में फर्मों के रजिस्टर में पंजीकृत किया गया है, परिषद सदस्य या फर्म को, जैसा भी मामला हो, निर्देश दे सकती है। जिसका नाम फर्मों के रजिस्टर में सबसे पहले पंजीकृत किया गया था, उसे छोड़कर वह नाम को ऐसे तरीके से बदल सकता है जिसे परिषद उचित समझे और सदस्य या फर्म निर्देश जारी होने के छह महीने के भीतर परिषद को ऐसे परिवर्तन की सूचना दे।

- (6) परिषद, एक वर्ष के भीतर, पहले से पंजीकृत किसी भी फर्म या व्यापार नाम को वापस ले सकती है और परिषद के निर्देश जारी होने के छह महीने के भीतर नाम में बदलाव के लिए आवेदन करने का निर्देश दे सकती है, यदि उसे नाम पहले से अनुमोदित लगता है। उपरोक्त उप-विनियम (1) के अनुसार दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था जो फर्मध्यापार नाम के अनुमोदन के समय लागू थे।
- (6ए) परिषद, किसी भी फर्म के पंजीकरण के एक वर्ष के भीतर, ऐसे पंजीकरण को वापस ले सकती है यदि उसे पता चलता है कि पंजीकरण अवांछनीय है;
- (7) कोई भी सदस्य किसी ऐसे व्यापार या फर्म के नाम से प्रैक्टिस नहीं करेगा जिसके संबंध में उप-विनियम (5) और (6) के तहत एक निर्देश जारी किया गया है। निर्देश जारी होने की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद परिषद् ऐसी फर्म का नाम फर्मों के रजिस्टर से हटा देगा।
- (8) परिषद, अपने विवेक से, उचित मामलों में उप-विनियम (4) के तहत विवरण दाखिल करने में देरी को माफ कर सकती है।”

(xvii) उक्त विनियमों में, विनियम 165ए के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“165ए—फर्मों का रजिस्टर —

- (1) परिषद भाग—III में अनुसूची ए में उचित रूप में फर्मों का एक रजिस्टर बनाए रखेगी और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्ज करेगी —
 - (i) विवरण जो फर्म द्वारा विनियम 165 के तहत प्रस्तुत किए गए हैं।
 - (ii) अधिनियम के अध्याय V के तहत फर्म के खिलाफ किसी कार्रवाई योग्य जानकारी या शिकायत के लंबित होने का विवरण।
 - (iii) अधिनियम के अध्याय V के तहत फर्म के खिलाफ किसी भी जुर्माना लगाने का विवरण।
 - (iv) अपीलीय प्राधिकारी या किसी न्यायालय के समक्ष दंड से संबंधित किसी भी कानूनी कार्यवाही के लंबित होने का विवरण;
 - (v) उपरोक्त खंड (ii), (iii) और (iv) के संबंध में, रजिस्टर में प्रविष्टि 60 दिनों के भीतर अद्यतन की जाएगी।
- (2) परिषद उस फर्म का नाम फर्मों के रजिस्टर से हटा देगी जो अधिनियम की धारा 20सी के तहत किसी भी अक्षमता के अधीन है।”

(xviii) उक्त विनियमों में, विनियम 165बी के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

“165 बी फर्मों की सूची —

- (1) प्रत्येक वर्ष अप्रैल के 1 दिन तक संस्थान की फर्मों की सूची क्षेत्र-वार प्रकाशित की जाएगी और संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। फर्मों की सूची की भौतिक प्रतिलिपि ऐसे सदस्य या फर्म को प्रदान की जा सकती है, जिसे अनुरोध ऐसी कीमत पर प्राप्त हुआ है जो परिषद द्वारा समय-समय पर तय की जा सकती है।
- (2) फर्मों की सूची दो खंडों में होगी, अर्थात्, स्वामित्व वाली फर्में और साझेदारी फर्में (सीमित देयता भागीदारी सहित) और इसमें फर्मों के निम्नलिखित विवरण शामिल हो सकते हैं: —
 - (ए) प्रोपराइटरशिप फर्मों के मामले में
 - (i) फर्म का नाम
 - (ii) फर्म पंजीकरण संख्या
 - (iii) मालिक का नाम (सदस्य)
 - (iv) सदस्यता संख्या
 - (v) सदस्य की सीओपी स्थिति
 - (vi) फर्म का पूरा पता
 - (vii) किसी अन्य फर्म में सदस्य संघ
 - (viii) अधिनियम के अध्याय V के तहत इसके विरुद्ध कार्रवाई योग्य किसी भी जानकारी या शिकायत के लंबित होने का विवरण।

(ix) अधिनियम के अध्याय V के तहत इसके खिलाफ कोई जुर्माना लगाने का विवरण।

(x) कोई अन्य विवरण जो समय-समय पर परिषद द्वारा तय किया जा सकता है।

(बी) साझेदारी फर्मों के मामले में

(i) फर्म का नाम

(ii) फर्म पंजीकरण संख्या

(iii) साझेदार के नाम

(iv) भागीदारों की सदस्यता संख्या

(v) पार्टनर्स सीओपी स्थिति

(vi) किसी अन्य फर्म में पार्टनर्स एसोसिएशन

(vii) प्रधान कार्यालय का पता

(viii) शाखाओं की संख्या

(ix) शाखा कार्यालय का पता

(x) अधिनियम के अध्याय V के तहत इसके विरुद्ध कार्रवाई योग्य किसी भी जानकारी या शिकायत के लंबित होने का विवरण।

(xi) अधिनियम के अध्याय V के तहत इसके खिलाफ कोई जुर्माना लगाने का विवरण।

कोई अन्य विवरण जो समय-समय पर परिषद द्वारा तय किया जा सकता है।”

(xix) उक्त विनियमों में, अनुसूची ए को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

“अनुसूची – ए

प्रोफार्मा

(रजि. 3 देखें)

सदस्यों का रजिस्टर

1. सदस्यता का विवरण

(ए) एसीएस नंबर और रजिस्टर में प्रविष्टि की तारीख

(बी) एफसीएस नंबर और फेलो के रूप में प्रवेश की तारीख

2. पूरा नाम.

3. जन्म तिथि.

4. लिंग—: पुरुष/महिला/अन्य

5. (ए) राष्ट्रीयता.....

(बी) अधिवास

6. योग्यता.....

7. पता.

(ए) पेशेवर.....

(बी) आवासीय

8. (सी) मोबाइल नंबर.

(डी) दूरभाष नंबर

(ई) ईमेल आईडी

9. क्या सदस्य के पास प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र है

10. कंपनी सचिव के रूप में अभ्यास का विवरण.....

(ए) प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र क्रमांक

(बी) प्रभावी होने की तिथि.....

(सी) चाहे अभ्यास स्वतंत्र रूप से कर रहे हों, साझेदारी में, या व्यवसाय में कंपनी सचिवों की किसी फर्म में कार्यरत हों.....

11. क्या वे वेतनभोगी रोजगार में हैं, यदि व्यवहार में नहीं है

12. पते में परिवर्तन, यदि कोई हो

13. शुल्क प्राप्ति का विवरण

14. अध्याय 5 के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई योग्य शिकायत या लंबित सूचना या किसी जुर्माने का विवरण सारणीबद्ध रूप में नीचे दिया गया है :-

सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई योग्य शिकायतों/सूचनाओं का विवरण :-

शिकायत/सूचना संदर्भ संख्या	यदि शिकायत/सूचना	अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के समक्ष जांच के लिए लंबित जानकारी या शिकायत का विवरण	यदि जांच के बाद अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति द्वारा पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो आदेश संख्या के साथ लगाए गए दंड का विवरण	यदि बीओडी या डीसी द्वारा पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी नहीं पाया जाता है, तो आदेश संख्या के साथ उसका विवरण	यदि जुर्माना लगाया गया है, तो अपीलीय प्राधिकारी उच्च न्यायालय के समक्ष दायर मामले का विवरण, यदि कोई हो।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

14. टिप्पणियां

(XX) उक्त विनियमों में, भाग III में निम्नलिखित फॉर्म डाला जाएगा, अर्थात् :-

‘प्रपत्र ‘ए’

(अधिनियम की धारा 20बी के साथ पठित विनियम 165ए देखें)

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की फर्मों का रजिस्टर

1. फर्म पंजीकरण संख्या
2. फर्म का नाम
3. संविधान की तिथि
4. फर्म का प्रकार – मालिकाना/साझेदारी/एलएलपी/एमडीपी
5. फर्म के नाम के अनुमोदन की तिथि
6. प्रधान कार्यालय का पता
7. साझेदारों का विवरण (उनके शामिल होने और छोड़ने की तिथि सहित)
8. फर्म के शाखा कार्यालय— उनके पते, खोलने, बंद करने की तारीख और प्रभारी विवरण के साथ
9. फर्म का दूसरा कार्यालय
10. वेतनभोगी सहायकों का विवरण, उनके शामिल होने और छोड़ने की तारीख के साथ
11. फर्म का पैर
12. फर्म का जीएसटीआईएन
13. फर्म और साझेदारों का संपर्क नंबर और ईमेल आईडी
14. दिनांक एवं फर्म संख्या सहित विलय एवं पृथक्करण का विवरण

15. साझेदारों का अन्य संघ

16. फर्म के नेटवर्क का विवरण

17. साझेदारों के बीच विवाद का विवरण, यदि कोई हो।

18. क्या अध्याय 5 के तहत फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई योग्य जानकारी या शिकायत लंबित है या जुर्माना लगाया गया है, यदि कोई हो, विवरण सारणीबद्ध रूप में नीचे दिया गया है : —

शिकायत/सूचना संदर्भ संख्या	यदि शिकायत/सूचना कदम उठाने योग्य	अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के समक्ष जांच के लिए लंबित जानकारी या शिकायत का विवरण	यदि जांच के बाद अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति द्वारा पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो आदेश संख्या के साथ लगाए गए दंड का विवरण	यदि बीओडी या डीसी द्वारा पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी नहीं पाया जाता है, तो आदेश संख्या के साथ उसका विवरण	यदि जुर्माना लगाया गया है, तो अपीलीय प्राधिकारी/उच्च न्यायालय के समक्ष दायर मामले का विवरण, यदि कोई हो।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्रत्येक शिकायत/सूचना के लिए अलग पंक्ति का उपयोग किया जाएगा।

19. टिप्पणियां

परिषद के आदेशानुसार

सी. एस. आशीष मोहन, सचिव, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

[विज्ञापन-III/4/असा./307/2023-24]

नोट: प्रमुख विनियम अधिसूचना आईसीएसआई नं. 710/2 (1) दिनांक 16 सितम्बर, 1982 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे और निम्नलिखित के माध्यम से बाद में संशोधन हुआ:

- (i) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम(1) दिनांक 30 मार्च, 1984;
- (ii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम(1) दिनांक 3 मई, 1984;
- (iii) अधिसूचना सं. 710:2:एम(1) दिनांक 30 दिसम्बर, 1985;
- (iv) अधिसूचना सं. 710(2)(एम)(1) दिनांक 23 फरवरी, 1987;
- (v) अधिसूचना सं. 710(2)(एम)(1) दिनांक 9 मार्च, 1987;
- (vi) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710 (2) (एम) (2) दिनांक 22 अगस्त, 1988;
- (vii) अधिसूचना सं. 710(2)(एम)(2) दिनांक 23 अगस्त, 1988;
- (viii) अधिसूचना सं. 710/1(एम)/1/18 दिनांक 20 अगस्त, 1993 एवं 24 नवम्बर, 1993;
- (ix) अधिसूचना सं. 710/1(एम)/17 दिनांक 21 फरवरी, 1995;
- (x) अधिसूचना सं. 710/1(एम)/20 दिनांक 28 नवम्बर, 1996;
- (xi) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2/एम/26 दिनांक 10 अगस्त, 2001;
- (xii) अधिसूचना सं. 710/1/(एम)/1 दिनांक 4 मई, 2006;
- (xiii) अधिसूचना सं. 710/1/(एम)/1 दिनांक 26 जून, 2006;
- (xiv) अधिसूचना सं. 531:विधिक:710/1(एम)/1 दिनांक 26 जुलाई, 2010;
- (xv) अधिसूचना सं. 710/1(एम)/2 दिनांक 4 जून, 2012;
- (xvi) अधिसूचना सं. 710/1(एम)/1 दिनांक 1 अप्रैल, 2014;
- (xvii) अधिसूचना सं. 710/1(एम)/1 दिनांक 3 फरवरी, 2020
- (xviii) अधिसूचना सं. 710/1(एम)/2 दिनांक 3 अप्रैल, 2023

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

(Constituted under the Company Secretaries Act, 1980)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July 2023

No. 710/1(M)/3.—The following draft of certain regulations, further to amend the Company Secretaries Regulations, 1982, which the Council of the Institute of Company Secretaries of India proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), and with the prior approval of the Central Government, is hereby published, as required by sub section (3) of section 39 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing this notification are made available to the public;

Objection or suggestion in respect of the said draft regulations, may be addressed to the Secretary, the Institute of Company Secretaries of India, ICSI House, 22, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi 110003;

The objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Council.

DRAFT REGULATIONS

1. (1) These regulations may be called the Company Secretaries (Amendment) Regulations, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Gazette of India.
2. In the Company Secretaries Regulations, 1982 (hereinafter referred as regulations),-
 - (i) For Regulation 3, the following shall be substituted, namely:

“3. Register of Members. –

 - (1) The Register of Members shall be maintained in the appropriate Form referred to in Schedule ‘A.
 - (2) The member shall communicate to the Institute any change of his details entered in the Register, within thirty days of such change.”
 - (ii) For Regulation 10, the following shall be substituted, namely:

“10. Grant or refusal of Certificate of Practice

 - (1) A member, after successful completion of Orientation Programme in such manner and mode as may be determined by the Council, may apply to the Council for a certificate entitling him to practise as a Company Secretary.
 - (2) An application for the grant of certificate of practice shall be made in the appropriate Form and shall be accompanied by the annual certificate fee and the annual membership fee unless the same has already been paid in accordance with Regulation 6.
 - (3) The Institute may issue the Certificate of Practice in the appropriate Form which shall be valid until it is cancelled under the provisions of these Regulations.
 - (4) On his ceasing to be in practice, a member shall inform the Council as soon as may be, but in any case, not later than one month from the day he ceases to practice.
 - (5) The Council may refuse to grant Certificate of Practice to a Member, if the particulars furnished in prescribed form for applying Certificate of Practice are found to be incomplete, incorrect or false or the member is not eligible to obtain such certificate under other provisions of the Act.”
 - (iii) After Regulation 15A, the following regulation shall be inserted, namely:

“15AA. Panel of persons for nomination to the Board of Discipline and Disciplinary Committee constituted under Section 21A and Section 21B of the Act

 - (1) The Council shall prepare and provide to the Central Government, Panel(s) of persons for nomination of the Presiding Officer and other members of the Board of Discipline and the Disciplinary Committee to be constituted as per the eligibility criteria laid down under clause (a) i.e. persons with experience in law and having knowledge of disciplinary matters and the

profession and (b) i.e. persons of eminence having experience in the field of law, economics, business, finance or accountancy, of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act.

Due regard shall be given to Officers retired from Indian Revenue Service, Indian Corporate Law Service, Indian Audit and Accounts Service, Indian Defence Accounts Service, Indian Civil Accounts Service, Indian P&T Accounts & Finance Service, Indian Railway Accounts Service, Director (Finance) of PSUs, Officers of Central/State Govts. as may be notified by Central Government, having 20 years of Group 'A' service experience, Retired High Court Judge, Retired District Judge including Addl. District Judge with minimum five years of experience as District Judge or Addl. District Judge, for inclusion in the panel prepared by the Search Committee of the Council.

- (2) For the purpose of preparing the Panel(s) for Presiding Officer and members to be nominated by the Central Government to the Board of Discipline and the Disciplinary Committee under clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act, the Council may:-
 - (i) constitute a Search-cum-Selection Committee (hereinafter referred to as the Search Committee) consisting of President, Vice President, a Council Member to be nominated by the President and two Govt. Nominated Members of the Council to be nominated by the Central Government. The President of the Council shall be the Chairperson of the Search Committee.
 - (ii) Secretary of the Institute shall be the Secretary to this Search Committee.
- (3) Search Committee for the purpose of clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act, shall invite applications, scrutinize the applications received and prepare a panel for consideration of the Council:

Provided that in such panel, the Search Committee at its own may also include the names of persons of appropriate standing and having qualification as per clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act.

Provided further that no person holding membership of the Institute anytime immediately preceding two years from date of request for empanelment or who has been a member of the current Council or the immediate previous Council, shall be eligible for empanelment in the category of persons mentioned under clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act.
- (4) The Search Committee, for the purpose of inviting, scrutiny of applications, preparation of panel for approval of the Council and identifying other persons for inclusion in the Panel shall decide its own procedure.
- (5) The decision of the Search Committee shall be unanimous.
- (6) The Panel so prepared shall be updated at such interval as may be decided by the Council.
- (7) For nomination of members by the Council to the Board of Discipline and the Disciplinary Committee under clause (c) of sub-section (1) of Section 21A and of Section 21B, the member so nominated shall be a member of the Institute. However, the member so nominated in the BoD/DC shall not be eligible to contest election for a period of -4 years after he/she ceases to be member of Board of Discipline/Disciplinary Committee.
- (8) The Panel to be provided by the Council to the Central Government shall include at least five names for each vacancy ordinarily.
- (9) Presiding Officer or member(s) who have been nominated by the Central Government or member(s) nominated by the Council to Board of Discipline or Disciplinary Committee, shall hold office for period of two years and shall be eligible for being considered for one more term of two years
- (10) No person shall be eligible for inclusion of his name in the panel, if he suffers from any of the following disabilities: -
 - (a) he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
or
 - (b) he is an undischarged insolvent; or

- (c) he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending; or
 - (d) he has been convicted by a Court of an offence, whether involving moral turpitude or otherwise; or
 - (e) an order disqualifying him from holding any post has been passed by a Court or tribunal or
 - (f) an order under Section 21(A) or 21(B) of the Chartered Accountants Act, 1949 or the Cost and Works Accountants Act, 1959 or the Company Secretaries Act, 1980 has been passed imposing any punishment by the Board of Discipline or the Disciplinary Committee, as the case may be.”
- (iv) After Regulation 15AA, the following shall be inserted, namely:
- “[15AB - Allowances payable to the Presiding Officer and members of the Board of Discipline and Disciplinary Committee constituted under Section 21A and Section 21B of the Act.**
- (1) The Presiding Officer and the Members of the Boards of Discipline and the Disciplinary Committees shall be eligible for daily allowances and reimbursement of expenses of travelling, lodging and local conveyance for attending the meeting and related functions of the Board or the Committee, as the case may be, as follows: -
- A. Reimbursement of Travelling expenses shall be as admissible to the Vice President of the Council.
 - B. Daily allowance and reimbursement of lodging expenses shall be as admissible to the Vice President of the Council.
 - C. Local Conveyance
- The local conveyance shall be provided by the office and in case the same is not provided, they will be reimbursed as per actuals not exceeding the rates admissible to the Vice President of the Council.
- In addition to the allowances at sub-regulation (1), the Presiding Officers and the members of the Boards of Discipline, Disciplinary Committees, shall also be eligible for sitting fees @ Rupees Twenty thousand and Rupees Eighteen thousand respectively for each day, subject to a maximum of Rs. 2,00,000/- in a calendar month or as modified by Central Government from time to time.”
- (v) After Regulation 15AB, the following shall be inserted, namely:
- “[15AC-Status of actionable information and complaints in public domain**
- (1) The status of actionable information and complaints pending before the Disciplinary Directorate, the Board and the Committee shall be made available on the website of the Institute and shall be updated every month.
- (2) The status of such pending information and complaints shall contain the following details: -
- (i) Total number of actionable information and complaints pending.
 - (ii) Number of cases which are pending for investigation before the Directorate prior to the stage of preliminary examination report.
 - (iii) Break up of cases where Preliminary Examination Report has been submitted by Director (Discipline) to the—
 - a. Board of Discipline
 - b. Disciplinary Committee
 - (iv) Break-up of cases pending for hearing (including recalled hearings, if any) before the—
 - a. Board of Discipline
 - b. Disciplinary Committee
 - (v) Break up of cases where hearing has been concluded but findings have been kept reserved by the:

- a. Board of Discipline
 - b. Disciplinary Committee.
- (vi) Break-up of cases where findings have been issued but punishments are yet to be awarded by the –
 - a. Board of Discipline.
 - b. Disciplinary Committee.
- (vii) Break-up of cases in which punishments have been awarded by the –
 - a. Board of Discipline.
 - b. Disciplinary Committee.
- (viii) Break-up of appeal cases filed before Appellate Authority with statistics of
 - a. Appeals allowed,
 - b. Partly allowed,
 - c. Dismissed.
- (3) Disposal Statistics to also include break-up of disposal i.e.; number of cases in which penalty of reprimand, removal from the register, fine or both removal from the register and fine, have been awarded.
- (4) Information in the following format shall also be displayed on the website of the Institute and will be updated every month. This information shall be prepared for all firms/ CSs whose cases are either pending at the beginning of the financial year (before BoD/DC/Appellate Authority/Court) or in whose case, the PER has been filed during the financial year:
 Financial Year _____ Updated upto month _____
 1. Sl. No.
 2. Name of the Firm
 3. PER filed on
 4. Status at BoD/DC - Pending/ Decided
 5. Final Decision of BoD/DC - Not Guilty/Guilty under Section___/Schedule___/Guidelines ____
 6. Decision in Higher Forum - No case filed in Higher Forum/ Case filed before _____ a/w Status
- (5) The final Order passed by the Board of Discipline under sub-section (5) and (6) of Section 21A and by the Disciplinary Committee under sub-section (5) and (6) of Section 21B of the Act shall be made available on the website of the Institute in respect of each case after the same is communicated to the parties concerned.”
- (vi) In Regulation 46AB, after the clause 1 (b), clause (c) shall be inserted, namely: -
 “(c) completed learning credit hours for such duration and in such manner as may be determined by the Council by laying down guidelines in this regard time to time.”
- (vii) After Regulation 114, regulation 114A shall be inserted, namely: -
“[114A- Disputes regarding election of office bearers to the Regional Council
 Where any dispute arises regarding any election under Regulation 119 to a Regional Council, the matter may be referred by the aggrieved member of the Regional Council within thirty days from the date of the declaration of the result of the election, to the President and the decision of the President shall be final.”
- (viii) In the said regulations, in regulation 115,-
 - (a) In sub-regulation (1),
 - (i) for the word “Six” the word “Seven” shall be substituted.

- (ii) for the words “such minimum number of members as may be decided by the Council for each election” the words “seven and half percent of the eligible voters or 1000 voters, whichever is less, in such Regional Constituency” shall be substituted.
- (b) In sub-regulation (2),
- (i) for the word “twenty one” the word “fifteen” shall be substituted.
- (c) In sub-regulation (3),
- (i) After the words “Regulation 111, may” the words “at its first meeting” shall be omitted.
- (ix) In the said regulations, for regulation 152 the following shall be substituted, namely:-
- “152- Appointment of auditors**
- (1) The Council shall appoint a firm of chartered accountants as auditor every year in accordance with the provisions of sub-section (5) of Section 18 of the Act.
- (2) The auditors once appointed by Council shall be eligible for re-appointment for two more consecutive years provided if the Council wants to change such appointment, they shall seek the consent of C&AG and appoint another auditor from the panel of auditors maintained by C&AG.”
- (x) In the said regulations, for regulation 153 the following shall be substituted, namely:-
- “153. Auditor’s remuneration.-**
- The Council shall determine the remuneration, if any, to be paid to the auditors.”
- (xi) In the said regulations, for regulation 154 the following shall be substituted, namely:-
- “154. Casual vacancy in the office of auditors. -**
- If any vacancy occurs in the office of an auditor the same shall be filled up from the fresh panel of auditors maintained by C&AG.”
- (xii) In the said regulations, for regulation 156 the following shall be substituted, namely:-
- “156. Powers and duties of the President –**
- (1) The President shall exercise such powers and perform such duties as are specified by the Act and as may be delegated by the Council (except for approval related to Budget, Audited Annual Financial Accounts, powers to make regulations, guidelines and procedures) or its Standing Committees from time to time.
- (2) The President may direct any business to be brought before the Council or any Standing Committee for consideration.”
- (xiii) In the said regulations, after regulation 156 the regulation 156A shall be inserted, namely: —
- “156A Powers and duties of the Vice-President**
- The Vice-President shall exercise such powers and perform such duties as are specified by the Act and as may be delegated by the Council or its Standing Committees from time to time.”
- (xiv) In the said regulations, for regulation 157 the following shall be substituted, namely:-
- “157. Powers, duties and functions of the Secretary**
- Subject to the overall control, guidance and supervision of the Council, the Secretary shall execute the following functions:
- (a) being in charge of the office of the Institute as its Chief Executive Officer;
- (b) maintaining registers, documents and forms as required by the Act and these regulations;
- (c) being incharge of all the property of the Institute;

- (d) making necessary arrangements for receiving moneys due to the Council and also issuing receipts therefor;
- (e) incurring revenue and capital expenditure within the limits sanctioned by the Council or its Committees;
- (f) causing proper accounts to be maintained and delivering of account books, information etc. to the auditors appointed by the Council for the purpose of audit of accounts of the Institute;
- (g) making all other payments as sanctioned by the Council or its Committees;
- (h) paying salary and allowances to the staff, granting of leave etc. to them, and other perks to them, and sanctioning their increments in accordance with the regulations;
- (i) exercising disciplinary control over the officers and employees except dismissal in respect of which the sanction of the Council shall be necessary;
- (j) refunding or transferring fees received under these Regulations for the examinations;
- (k) recognising practical experience, sponsoring candidates for practical training, granting exemption from practical training requirements as may be delegated by the Council and the Committees concerned from time to time;
- (l) signing and issuing all communications, guidelines, circulars, orders, decisions and notifications on behalf of the Council;
- (m) taking necessary steps in matters of any civil or criminal or other proceeding on behalf of the Institute in courts or forums or judicial or quasi-judicial authorities and signing vakalatnamas on behalf of the Council, appointing solicitors or advocates on behalf of the Council, and filing papers in Courts, etc. on behalf of the Council, within the financial and administrative powers as may be approved by the Council or its committees from time to time;
- (n) signing and execution of agreements, contracts, deeds, documents and undertaking, etc., on behalf of the Institute within the financial and administrative powers as may be approved by the Council or its committees from time to time.
- (o) performing such other duties and functions as are incidental and ancillary to and may be required for the performance of the above duties and exercising such other powers as may be delegated by the Council.
- (p) authorizing any officer or officers of the Institute to exercise or discharge any powers or duties under items (b), (d), (e), (f), (g), (j) & (k) as may be considered necessary from time to time.”

(xv) In the said regulations, for regulation 161 the following shall be substituted, namely:-

“161. List of members

- (1) The list of members of the Institute as on the 1st day of April each year shall be published region-wise, under sub-section (3) of section 19 of the Act and shall be made available at the website of the Institute. Physical copy shall be made available to member(s) on request, for sale at such price as may be fixed by the Council from time to time.
- (2) The list of Members may contain the following details of members:
 - (i) Name – Member’s Name as per records of the Institute.
 - (ii) Gender – Male, Female and Others
 - (iii) Qualification –Member’s qualification as per records of the Institute
 - (iv) Membership No. -
 - (v) Whether Associate or Fellow
 - (vi) Year of enrolment as Associate or Fellow
 - (vii) Whether holding Certificate of Practice

- (viii) Professional Address (refer Regulation 167)
 - (ix) Members residing abroad - Member's Region and residential address in India.
 - (x) Details of pendency of any actionable information or complaint against it under Chapter V of the Act.
 - (xi) Details of imposition of any penalty against it under Chapter V of the Act."
- (xvi) In the said regulations, for regulation 165 the following shall be substituted, namely:-

"165 Manner of registration of firm and terms and conditions

- (1) A company secretary in practice or a firm of such company secretaries or Multi-Disciplinary Partnership firm of CSs, shall, before commencement of practice in a trade name or firm name, apply to the Council in the form approved by the Council for permission to use a trade or a firm name as per the guidelines issued by the Council from time to time.
- (2) For permission to use the existing trade or firm name or modification in trade or firm name, all the existing firms within 30 days from the date of commencement of these regulations, shall apply to the Council which may allow use of the existing trade/firm name or any modification in the name of the existing Firm as per the guidelines issued under sub-regulation (1) above.
- (3) The Council may, refuse to approve a particular trade or firm name if
 - (i) the name of such firm is identical or similar to the name of any other firm already registered as per the records of the Institute; or
 - (ii) the name is in use by any firm within or outside India; or
 - (iii) If it bears the name of a god/goddess/deity and which has no relationship with the name of member(s); or
 - (iv) if the trade/firm name is descriptive; or
 - (v) if the trade/firm name smacks of publicity; or
 - (vi) if such name, in the opinion of the Council is undesirable; or
 - (vii) if in the opinion of the Council, the registration of the firm is undesirable.
- (4) The firm of company secretaries shall within one month of the approval of the trade or firm name, or commencement of practice or change in the constitution or change in particulars of the firm or office, as the case may be, inform the Council of such particulars regarding his office, firm and changes as the case may be, in the appropriate Form.
- (5) Where the same trade or firm name has been registered in the past in the register of firms in the case of two or more members or firms, the Council may direct the member or the firm, as the case may be, other than one whose name was registered first in the register of firms, to alter the name in such manner as the Council may consider appropriate and member or firm inform to the Council of such alteration within six months of the issue of the direction.
- (6) The Council may recall, within one year, any Firm or trade name already registered and may direct to apply for a change in the name within six months from the issuance of directions of the Council, in case it finds the name earlier approved was not in accordance with the guidelines as per above sub-Regulation (1) which were in force at the time of approval of firm / trade name.
- (6A) The Council may recall, within one year of registration of any firm, such registration in case it finds that the registration is undesirable;
- (7) No member shall practice under a trade or firm name in respect of which a direction has been issued under sub-regulation (5) & (6) after the expiry of six months from the date of issue of the direction and the Council shall remove the name of such firm from the register of firms.

- (8) The Council may, in its discretion, condone the delay in filing the particulars under sub-regulation (4) in appropriate cases.”

(xvii) In the said regulations, for regulation 165A the following shall be substituted, namely:-

“165A-Register of Firms

- (1) The Council shall maintain a register of firms in appropriate form in Schedule A in Part-III and shall enter therein the following details-
- (i) particulars which are furnished by the firm under Regulation 165.
 - (ii) details of pendency of any actionable information or complaint, against the Firm under Chapter V of the Act.
 - (iii) details of imposition of any penalty against the Firm under Chapter V of the Act.
 - (iv) details of pendency of any legal proceedings related to penalty in the Appellate Authority or before any Court;
 - (v) In respect of clauses (ii), (iii) and (iv) above, the entry in the Register shall be updated within 60 days.
- (2) The Council shall remove the name of a firm from the Register of Firms which is subject to any of the disabilities under section 20C of the Act.”

(xviii) In the said regulations, the following shall be inserted, namely:-

“165B List of Firms

- (1) The List of Firms of the Institute as on the 1st day of April each year shall be published region-wise and shall be made available at the website of the Institute. Physical copy of the list of firms may be provided to such member or firm from which a request has been received at such price as may be fixed by the Council from time to time.
- (2) The list of Firms shall be in two segments i.e., proprietorship firms and partnership firms (including Limited Liability Partnership) and may contain the following details of firms:-
- (a) In the case of Proprietorship Firms
 - (i) Firm Name
 - (ii) Firm Registration Number
 - (iii) Proprietor Name (Member)
 - (iv) Membership No.
 - (v) COP Status of the Member
 - (vi) Firm Complete address
 - (vii) Member’s Association in any other Firm
 - (viii) details of pendency of any actionable information or complaint against it under Chapter V of the Act.
 - (ix) details of imposition of any penalty against it under Chapter V of the Act.
 - (x) Any other particulars as may be decided by the Council from time to time.
 - (b) in the case of Partnership Firms
 - (i) Firm Name
 - (ii) Firm Registration Number
 - (iii) Partner Names
 - (iv) Membership No. of partners
 - (v) Partners COP Status

- (vi) Partners' Association in any other Firm
- (vii) Address of head office
- (viii) Number of Branch(es)
- (ix) Address of Branch Office(s)
- (x) details of pendency of any actionable information or complaint against it under Chapter V of the Act.
- (xi) details of imposition of any penalty against it under Chapter V of the Act.

Any other particulars as may be decided by the Council from time to time.”

- (xix) In the said regulations, Schedule A shall be substituted, namely:—

“ SCHEDULE A

PROFORMA

(See Reg. 3)

Register of Members

1. Particulars of membership

(a) ACS No. and Date of entry in the Register

(b) FCS No. and Date of admission as Fellow

2. Name in full.....

3. Date of birth.....

4. Gender-: Male/Female/Others

5. (a) Nationality.....

(b) Domicile.....

6. Qualification.....

7. Address.....

(a) Professional.....

(b) Residential.....

8[(c) Mobile No.....

(d) Tel. No.

(e) Email id.]

9. Whether the member holds a certificate of practice

.....

10. Particulars of practice as Company Secretary.....

(a) Certificate to Practice No.....

(b) Date of effect.....

(c) Whether practicing independently, in partnership, or employed in a firm of Company Secretaries in practice
.....

11. Whether holding a salaried employment, if not in practice

12. Change of address, if any

13. Particulars of fees received

14. The details of actionable complaint or information pending or any penalty has been imposed against him under Chapter V in the tabular form as indicated below:

Details of actionable complaints/information against the member :-

Complaint/ Information Reference No.	If complaint/ Information actionable	Details of information or complaint pending for inquiry before the Board of Discipline or the Disciplinary Committee	If found guilty of professional or other misconduct by the Board of Discipline or the Disciplinary Committee after the inquiry, details of penalty imposed along with Order Number	If not found guilty of professional or other misconduct by BoD or DC, the details thereof along with Order Number	If penalty imposed, details of case filed before the Appellate Authority/Higher Court, if any .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

15. Remarks

(xx) In the said regulations, in Part III the following form shall be inserted, namely:-

“ Form ‘A’

(See Regulation 165A read with Section 20B of the Act)

Register of Firms of The Institute of Company Secretaries of India

1. Firm Registration Number
2. Firm Name
3. Date of Constitution
4. Type of Firm – Proprietary/Partnership/LLP/MDP
5. Date of approval of Firm Name
6. Address of the Head Office
7. Details of Partners (Along with their date of joining and leaving)
8. Branch office(s) of the firm- along with their address, date of opening, closure and in-charge details
9. Second Office(s) of the Firm
10. Details of Paid Assistants along with their date of joining and leaving
11. PAN of the Firm
12. GSTIN of the firm
13. Contact Number and email ID of the firm and Partners
14. Details of Merger and Demerger along with dates and firm numbers
15. Other association of the partners
16. Details of Network of the Firm
17. Details of dispute among the partners, if any.
18. Whether any actionable information or complaint is pending or penalty imposed, if any, against the firm under Chapter V in the tabular form as indicated below:

Complaint/ Information Reference No.	If complaint/ Information Actionable	Details of information or complaint pending for inquiry before the Board of Discipline or the Disciplinary Committee	If found guilty of professional or other misconduct by the Board of Discipline or the Disciplinary Committee after the inquiry, details of penalty imposed along with Order Number	If not found guilty of professional or other misconduct by BoD or DC, the details thereof along with Order Number	If penalty imposed, details of case filed before the Appellate Authority/Higher Court, if any .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Separate row to be used for each complaint/ information

19. Remarks

By Order of the Council,

ASISH MOHAN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./307/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide Notification ICSI No.710/2 (1), dated the 16th September, 1982 and subsequently amended vide:

- (i) Notification No. ICSI/710/2/M(1) dated the 30th March, 1984;
- (ii) Notification No. ICSI/710/2/M(1) dated the 3rd May, 1984;
- (iii) Notification No. 710:2:(M)(1) dated the 30th December, 1985;
- (iv) Notification No. 710(2)(M)(1) dated the 23rd February, 1987;
- (v) Notification No. 710(2)(M)(1) dated the 9th March, 1987;
- (vi) Notification No. ICSI/710(2)(M)(2) dated the 22nd August, 1988;
- (vii) Notification No. 710(2)(M)(2) dated the 23rd August, 1988;
- (viii) Notification No. 710/1(M)/1/18 dated the 20th August, 1993 and 24th November, 1993;
- (ix) Notification No.710/1(M)/17 dated the 21st February, 1995;
- (x) Notification No.710/1(M)/20 dated the 28th November, 1996;
- (xi) Notification No. ICSI/710/2/M/26 dated the 10th August, 2001;
- (xii) Notification No.710/1(M)/1 dated the 4th May, 2006;
- (xiii) Notification No.710/1/(M)/1dated the 26th June, 2006;
- (xiv) Notification No.531:legal:710/1(M)/1 dated the 26th July, 2010;
- (xv) Notification No.710/1(M)/2 dated the 4th June, 2012;
- (xvi) Notification No.710/1(M)/1 dated the 1st April, 2014;
- (xvii) Notification No.710/1(M)/1 dated the 3rd February, 2020.
- (xviii) Notification No. 710/1(M)/2 dated the 3rd April, 2023